उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/2024/370/तीस-4-2024
लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2024

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को अधिसूचना संख्या-02/2024/94/ XXX-4-2024, दिनांक 01 फरवरी, 2024 तथा अधिसूचना संख्या-03/2024/153/XXX-4-2024, दिनांक 01 फरवरी, 2024 द्वारा मंजिली गाड़ी चलाने के लिए यथा विनिश्चित कुल 1540 मार्गों पर परमिट निर्गत करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-7/2024/270(1)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-7/2024/270(2)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 13 मार्च, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-7/2024/270(3)/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त) ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2024/370/XXX-4-2024, dated 13 March, 2024.

Notification

No.7/2024/370 /XXX-4-2024
Lucknow: Dated 13 March, 2024

In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (3) of section 68 read with sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to authorize the State Transport Authority of Uttar Pradesh to issue permits on the total 1540 routes as formulated by notification no.02/2024/94/XXX-4-2024, dated 01 February, 2024 and notification no.03/2024/153/XXX-4-2024, dated 01 February, 2024 for plying stage carriages.

By Order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।